



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2640]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 4, 2016/कार्तिक 13, 1938

No. 2640]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 4, 2016/KARTIKA 13, 1938

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2016

का.आ. 3395(अ).—केंद्रीय सरकार, प्रतिभूति हित का प्रवर्तन तथा ऋण वसूली विधि और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का 44) की धारा 1 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 04 नवम्बर, 2016 को वह तारीख नियत करती है, जिस तारीख को उक्त अधिनियम के निम्नलिखित उपबंध प्रवृत्त होंगे, अर्थात्:—

क्र. सं.	धाराएं
1	धारा 4(xiii);
2	धारा 7; और
3	धारा 32.

[फा. सं. 3/5/2016-डीआरटी]

आनंदराव वि. पाटील, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 2016

S.O. 3395(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Enforcement of Security Interest and Recovery of Debts Laws and Miscellaneous Provisions (Amendment) Act, 2016 (44 of 2016), the Central Government hereby appoints the 4th day of November, 2016 as the date on which the following provisions of the said Act shall come into force, namely:—

Sl. No	Sections
1	Section 4 (xiii);
2	Section 7; and
3	Section 32.

[F. No. 3/5/2016 - DRT]

ANANDRAO V. PATIL, Jr. Secy.